भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4949
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

आरजीएसए के अंतर्गत ग्राम पंचायत

†4949. श्री मलैयारासन डी:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की विशेषताएं क्या हैं;
(ख) तमिलनाडु में अब तक उक्त योजना के अंतर्गत विशेषकर कल्लाकुरिची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है;
(ग) तमिलनाडु में आरजीएसए के लिए कुल कितना वित्तीय आबंटन किया गया है और इस आबंटन की कितनी राशि का उपयोग पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण, अवसंरचना विकास और शासन में सुधार के लिए किया गया है,
(घ) आरजीएसए के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अन्य पहलों के माध्यम से पंचायत सदस्यों और अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर शासन, अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करने पर आरजीएसए का क्या प्रभाव पड़ा है; और
(च) अधिक ग्राम पंचायतों के एकीकरण तथा जमीनी स्तर पर सेवाओं और अवसंरचना में वृद्धि सहित आरजीएसए के दायरे का विस्तार करने के लिए भावी योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के प्रमुख उद्देश्य/विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) ग्राम पंचायतों को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व की भूमिका हेतु पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का विकास करना;
(ii) पंचायत प्रणाली में लोगों की भागीदारी के बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना।
(iii) पंचायत प्रशासनिक दक्षता में सुशासन को सक्षम करने और पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए ई-गवर्नेंस और अन्य प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को बढ़ावा देना;
(iv) संविधान और पेसा अधिनियम 1996 की भावना के अनुसार पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना; आदि।

(ख) से (घ) यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए उनकी शासन

क्षमताओं का विकास किया जा सके और पंचायतें प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। संशोधित योजना के अंतर्गत पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सहायता दी गई है, जैसे बुनियादी प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि। विभिन्न प्रशिक्षणों के अलावा, मंत्रालय एक्सपोजर विजिट, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री के विकास आदि के लिए भी सहायता करता है। इसके अलावा, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के तहत उत्कृष्टता संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक नई पहल भी की गई है। मंत्रालय विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है और क्रॉस स्टेट लर्निंग के लिए सर्वोत्तम कार्यों को साझा करता है।

इसके अलावा, यह योजना क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संस्थागत प्रणाली की स्थापना और सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर और ग्राम पंचायत भवन में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की सह-स्थापना जैसे पंचायत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत धनराशि जिलों/पंचायतों को नहीं बल्कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से इस योजना के तहत, (29.03.2025 तक) तमिलनाडु राज्य को 107.37 करोड़ रुपये (केन्द्र एवं राज्य का हिस्सा) जारी किए गए हैं तथा आरजीएसए के स्वीकृत घटकों के लिए 98.17 करोड़ रुपये उपयोग किए गए हैं, जिसमें पंचायत स्तर पर शासन में सुधार के लिए क्षमता निर्माण, अवसंरचना विकास शामिल है। उपयोग की गई धनराशि में पिछले वर्षों की अप्रयुक्त धनराशि भी शामिल है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित योजना के मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को पंचायतों की ई-गवर्नेंस क्षमताओं को बढ़ाने, पंचायत शासन में बेहतर सेवा प्रदायगी, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सहायता दी गई। इसे ई-ग्रामस्वराज जैसी पहलों के माध्यम से प्राप्त किया गया है, जो पंचायतों को अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) ऑनलाइन तैयार करने और अपलोड करने में सक्षम बनाता है, और सुव्यवस्थित वित्तीय लेनदेन और पारदर्शी खरीद के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकरण करता है।

ई-ग्रामस्वराज विकास की गतिविधियों और वित्तीय व्यय की वास्तविक समय की ट्रेकिंग के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाकर पंचायतों में किए गए कार्यों की निगरानी में अत्यधिक लाभकारी है। यह कार्य-आधारित लेखांकन को सरल बनाता है, सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत होता है, और परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग सहित परियोजनाओं की व्यापक निगरानी की सुविधा देता है।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा तैयार मेरी पंचायत जैसे ऐप ने पंचायत में नियोजन, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता तक पहुँचाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी तरह, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन ऐप है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

पंचायतों के खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन लेखापरीक्षा के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लीकेशन तैयार किया गया है। पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के फंड के उपयोग की पारदर्शी लेखापरीक्षा के लिए ऑडिटऑनलाइन की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी। तमिलनाडु में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर ईग्रामस्वराज को अपनाना RGSA के प्रभाव को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान तमिलनाडु में पंचायत स्तर पर ईग्रामस्वराज को अपनाने का स्तर

ग्राम पंचायतों और उनके समकक्ष की कुल संख्या	12,525
ऑनबोर्ड ग्राम पंचायत	12,525
ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और उनके समकक्ष	12,519
स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) वाली पंचायतों की कुल संख्या	11,962
ब्लॉक पंचायतों और उनके समकक्ष की कुल संख्या	388
ऑनबोर्ड ब्लॉक पंचायत	388
ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	388
जिला पंचायतों और उनके समकक्ष की कुल संख्या	36
ऑनबोर्ड जिला पंचायत	36
ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें	36

***